श्री बाला साहेब के. ठाकरे और अन्य

बनाम

श्री वेंकट उर्फ बाबरू और अन्य

5 जुलाई, 2006

(अरिजीत पासायत और सी.के. ठाकुर, जे.जे.)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 303 - निजी शिकायत मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की मृत्यु का प्रभाव अभियोजन - कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अभियोजन जारी रखने की अनुमति - मामले से निपटने वाले न्यायालय से इसके लिए अनुमति प्राप्त करने के बाद अभियोजन जारी रख सकता है।

प्रतिवादी-शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी-अभियुक्त और अन्य के खिलाफ एक निजी परिवाद दर्ज कराया थी। निरीक्षण कोर्ट ने प्रक्रिया शुरू की। अपीलार्थी ने याचिका अंतर्गत धारा 482 सी.आर.पी.सी. दायर की गई। जिसे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस न्यायालय में अपील लंबित रहने के दौरान

शिकायतकर्ता की मृत्यु हो गई। अपीलार्थीयों ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता की मृत्यु के आधार पर परिवाद को खारिज किया जा सकता था। शिकायतकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों ने तर्क दिया कि परिवाद अभी भी बची हुई है इसलिए वे मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए आवेदन दायर करेंगे।

कानूनी उत्तराधिकारियों को अदालत में मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए आवेदन दायर करने की अनुमति देना - न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-

1. सी.आर.पी.सी. की धारा 302 के तहत अभियोजन जारी रखने के लिए धारा 302 को लागू करने के लिए अभियोजन चलाने की अनुमति मामले की जांच करने वाले या मामले की सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट से लेनी होगी। मजिस्ट्रेट को अभियोजन चलाने की अनुमति देने का अधिकार है। महाधिवक्ता या सरकारी वकील या लोक अभियोजक ऐसी अनुमति के बिना ऐसा करने के हकदार होंगे, इसलिए यदि मृत शिकायतकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारीयों द्वारा अभियोजन जारी रखने के लिए कोई अनुमति मांगी जाती है, तो मामले से निपटने वाले न्यायालय द्वारा परिप्रेक्ष्य पर विचार किया जाएगा।

2. चूंकि मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे की कार्यवाही रोक दी है, यदि और जब इस न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन दायर किया जाता है तो उस पर उचित रूप से निपटारा किया जाएगा।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 236/2005

(बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश व निर्णय अनुसार आपराधिक अपील संख्या 442/1995 दिनांकित 02.07.2003 से)

अपीलार्थियों के लिए जयदीप गुप्ता और शिवाजी एम. जाधव।

उत्तरदाताओं के लिए कैलाश चंद, मुकेश के. गिरि, एस.एस. शिंदे और रवींद्र केशवराव।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया।

अरिजीत पासायत, जे.

एक दिलचस्प सवाल है कि इस मामले में विचार के लिए शिकायतकर्ता की मृत्यु का क्या प्रभाव है। जब इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया तो अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1, जो शिकायतकर्ता

था, की मृत्यु हो गई है और इसलिए, उक्त शिकायतकर्ता के आधार पर शुरू की गई कार्यवाही जीवित नहीं रह सकती है। शिकायतकर्ता के विधिक प्रतिनिधियों ने प्रस्तुत किया कि वे कार्यवाही जारी रखने और उसके लिए एक उचित आवेदन दायर करने का प्रस्ताव रखते हैं।

तथ्यात्मक पहलुओं का एक संक्षिप्त संदर्भ पर्याप्त होगाः

श्री वेंकट उर्फ बाबरू (बाद में 'शिकायतकर्ता' के रूप में संदर्भित) ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अपीलकर्ता और चार अन्य के खिलाफ दिनांक 7.9.1994 को आर. क्रिमिनल. एल.सी. संख्या 107/1994 के साथ एक निजी परिवाद प्रथम श्रेणी सेलु, जिला परभणी में दर्ज कराया और भारतीय आपराधिक संहिता (1860 संक्षेप में) की धारा 34 के साथ पठित धारा 500 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया। इसके बाद तीन पत्रकारों के खिलाफ शिकायत वापस ले ली गई और अपीलकर्ताओं यानी संपादक, प्रिंटर और प्रकाशक के खिलाफ कार्यवाही जारी है। "दैनिक सामना" नामक समाचार पत्र के प्रकाशक की शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी व्यक्तियों ने अपने सामान्य इरादे को आगे बढाने के लिए विभिन्न तिथियों पर औरंगाबाद से

प्रकाशित अपने समाचार पत्र में शिकायतकर्ता के संबंध में खबरें प्रकाशित की थीं। रिपोर्ट करें कि शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा धूमिल हुई और उसे बदनाम किया गया। दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने आदेश दिनांक 15.9.1994 द्वारा प्रक्रिया जारी की आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के तहत एक याचिका, संक्षेप में संहिता, बाम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद के समक्ष दायर की गई थी जिसे बेंच ने अपने फैसले में अपील खारिज कर दी थी। अपीलार्थियों ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी (सीआरएल) संख्या 4367/2003) दायर की। नोटिस के बाद, अपील दिनांक 3.2.2005 को स्वीकार किया गया था, जब मामले की सुनवाई दिनांक 31.5.2006 को की गई तो यह बताया गया था कि प्रतिवादी संख्या 1- शिकायतकर्ता की मृत्यु दिनांक 3.8.2005 को हो गई थी।

अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने संहिता की धारा 256 के संदर्भ में प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता की मृत्यु के आधार पर शिकायत को खारिज किया जाना चाहिए। जैसा कि प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने ऊपर उल्लेख किया है कि कानूनी उत्तराधिकारियों ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता के कानूनी

उत्तराधिकारी मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए एक आवेदन और दाखिल करेंगे, इसलिए शिकायत अभी भी विचारणीय है।

इस मोड़ पर इस न्यायालय के संदर्भ में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 (इसके बाद 'पुरानी संहिता' के रूप में संदर्भित) की धारा 495 के संदर्भ में अश्विन नानुभाई व्यास बनाम और अन्य ए.आई.आर. (1967) एस.सी. 983 के सिद्धांतों पर पहले जो कहा गया है, उस पर ध्यान देना प्रासंगिक है, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मजिस्ट्रेट के पास शिकायतकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए एक रिश्तेदार को विधिक प्रतिनिधि द्वारा अभियोग पक्ष जिमी जहांगीर मदन बनाम बॉली करियप्पा हिंडले (मृत) को जारी रखने की अनुमति देने की शक्ति थी।

संहिता की धारा 307 निम्नानुसार हैः

302 अभियोजन चलाने की अनुमति-(1) पूछताछ करने वाला कोई भी मजिस्ट्रेट किसी मामले में या उस पर मुकदमा चलाने के लिए निरीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अभियोजन चलाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन महाधिवक्ता या सरकार के अलावा कोई भी व्यक्ति

अधिवक्ता या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक, ऐसी अनुमति के बिना ऐसा करने का हकदार होगाः

बशर्ते कि किसी भी पुलिस अधिकारी को अभियोजन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि उसने उस अपराध की जांच में भाग लिया है जिसके संबंध में आरोपी पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

(2) अभियोजन का संचालन करने वाला कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या एक वकील द्वारा ऐसा कर सकता है।

संहिता की धारा 302 को लागू करने के लिए, अनुमति अभियोजन का संचालन मजिस्ट्रेट से प्राप्त किया जाना चाहिए। जो मजिस्ट्रेट की जांच या मुकदमा चला रहा है जिसे होने के लिए अभियोजन की अनुमति देने का अधिकार है। निरीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित; लेकिन महाधिवक्ता या सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसी अनुमति के बिना ऐसा करने का हकदार नहीं होगा।

उपरोक्त स्थिति होने के कारण, यदि मृतक शिकायतकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अभियोजन जारी रखने के लिए कोई अनुमति मांगी जाती है, तो उसी पर न्यायालय द्वारा अपने परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाएगा, जो मामले से संबंधित है, इस बात के संज्ञान में लाया जाता है कि दिनांक 13.10.2003 के आदेश द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे की कार्यवाही स्थगित है, इस पृष्ठभूमि में, श्री एडश्योर ने प्रस्तुत किया कि आवेदन इस न्यायालय से पहले दायर किया जाएगा और जब कोई आवेदन दायर किया जाता है तो उसे उचित रूप से तदनुसार आदेश दिया गया।

के.टी.टी.

अपील लंबित है।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।